

पत्रावली पेश। पुकार कराई गई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री यू0सी0 डुंगरिया तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुनीता भट्ट उपस्थित। विपक्षी भरण-पोषण की शेष धनराशि सायला को अविलम्ब अदा करना सुनिश्चित करे। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 06/05/2023 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर, चम्पावत।